न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1622–चार/2000 विरूध्द आदेश दिनांक 18–08–2000 पारित अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 539/अ–19/96–97 निगरानी.

महिला हरबू पुत्री खुमान काछी
नि0 ग्राम कारी, तह0 व जिला टीकमगढ़

—— आवेदकगण

विरूध्द

1– लक्ष्मन पुत्र हल्का काछी
नि0 ग्राम कारी, तह0 व जिला टीकमगढ
2– अवधेश गिरी पुत्र लालगिरी गुसाई
नि0 मुहल्ला ताल दरवाजा, टीकमगढ़

—— अनावेदकगण

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक – आवेदक
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक– अनावदेकगण

आदेश

(आज दिनांक 1.5. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 539/अ–19/1996–97 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18–08–2000 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम गोपालपुरा स्थित शासकीय भूमि का बंटन अन्य 30 आवंटितियों के साथ अनावेदक क0–2 अवधेश गिरी को ख0नं0 589/2 जु. रकबा 5.00 एकड़ का आवंटन अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 6–5–72 व्दारा किया। कलेक्टर, टीकमगढ़ के समक्ष अनावेदक क0–1 व्दारा अपील प्रस्तुत करने पर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 14–12–95 में यह निष्कर्ष निकाला कि आवंटन के पूर्व उदघोषणा प्रकाशित नहीं की गयी तथा अनावेदक क0–2 अवधेशगिरी को शासकीय सेवा में होने से भूमि बंटन की पात्रता नहीं थी। कलेक्टर ने अपने आदेश में यह भी निष्कर्ष निकाला कि महिला हरबू को पट्टा की भूमि विकय के पूर्व पट्टाग्रहिता अवधेश गिरी व्दारा संहिता की धारा 165(7–ख) के अन्तर्गत कलेक्टर की अनुमति नहीं ली गयी। अतः कलेक्टर ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अवधेश गिरी के पक्ष में किये गये बंटन को अवैध होने से निरस्त किया और प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि पृथक से इस भूमि के बंटन की कार्यवाही की जाय। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत निगरानी अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 18–8–2000 व्दारा खारिज की। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि बंटन आदेश के लगभग 22 वर्ष पश्चात अपील कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जो समयावधि बाधित होने से प्रचलन योग्य नहीं थी। उनका तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक व्दारा पंजीयत विकयपत्र व्दारा खरीदी गयी है तथा इस भूमि पर उसका नामान्तरण भी हो चुका है तथा निरन्तर काश्त कर कब्जा है। पंजीयत विकयपत्र को शून्य या निष्प्रभावी घोषित करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है। यदि बंटन के पूर्व प्रकिया संबंधी त्रुटि हुई है तो भी

इतने अधिक विलम्ब के पश्चात प्रकिया की त्रुटि के आधार पर बंटन आदेश को निरस्त करना उचित नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक क0–1 के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का भूमि बंटन के पूर्व से कब्जा है और उसने उस पर कुंआ भी खोदा है। बंटन के पूर्व विधिवत इश्तहार का प्रकाशन नहीं किया गया, इस कारण बंटन आदेश की जानकारी अनावेदक को तत्समय नहीं हो सकी। आदेश की जानकारी होने पर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है। कलेक्टर ने आदेश पारित करने के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी से जॉच कर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। बंटन नियम विरूध्द एवं अनावेदक क0–2 अवधेशगिरी को भूमि बंटन की पात्रता नहीं होने से कलेक्टर व्दारा बंटन आदेश को निरस्त किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि पट्टे की भूमि का विकय संहिता की धारा 165(7–ख) के अन्तर्गत कलेक्टर की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। आवेदक महिला हरजू व्दारा पट्टा की भूमि खरीदने के पूर्व कलेक्टर की अनुमति नहीं ली गयी है, इसलिये विकय पत्र के आधार पर आवेदक को विधिवत स्वत्व होना नहीं माना जा सकता। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख पृष्ठ 16 पर उपलब्ध उदघोषणा से स्पष्ट है कि यह उदघोषणा 2–6–70 को जारी कर 20–6–70 तक आवेदनपत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का उल्लेख है। अनुविभागीय अधिकारी की आदेश पत्रिका से दिनांक 31–3–72 को प्रथम आदेश पत्रिका लिखकर उदघोषणा जारी करने व प्रकरण दिनांक 20–4–72 को प्रस्तुत करने का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि भूमि आबंटन के पूर्व वर्ष 1970 में जारी उदघोषणा के आधार पर बंटन आदेश को विधि संगत होना मान्य नहीं किया जा सकता। अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख पृष्ठ 21 पर

उपलब्ध अवधेशगिरी के आवेदनपत्र दिनांक 3–2–72 से स्पष्ट है कि अवधेश गिर गोस्वामी 22 बी म0प्र0 एम ए एफ में प्लाटून कमान्डर थे। कलेक्टर ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि उदघोषणा के फार्म "अ" में सैनिक वर्ग के भूमिहीन व्यक्तियों को आवेदनपत्र प्रस्तुत करने को कहा गया था जिसका तात्पर्य संघ की नौ सेना, थल सेना, वायु सेना या किसी अन्य सशस्त्र सेना के सेवा निवृत्त या छटनी किये गये सदस्यों से था। चूंकि अनावेदक क0–2 अवधेश गिरी शासकीय सेवा में कार्यरत था, इस कारण उसे भूमि आवंटन की पात्रता नहीं थी। पट्टे पर प्राप्त भूमि का विकय संहिता की धारा 165(7–ख) के अन्तर्गत कलेक्टर की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता था, किन्तु अनावेदक क0–2 व्दारा कलेक्टर की अनुमति के बिना पट्टे की प्रश्नाधीन भूमि का विकय आवेदक महिला हरजू को किया जो पट्टे की शर्त का उल्लेखन है। ऐसी दशा में उक्त तथ्य अनावेदक क0–1 व्दारा अपील प्रस्तुत करने पर कलेक्टर की जानकारी में आने पर कलेक्टर ने प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ कर आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी व्दारा की गयी अनियमितता एवं अवैधानिकता की जानकारी पूर्व से थी, ऐसा कोई प्रमाण आवेदक व्दारा अधीनस्थ न्यायालयों में प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिये कलेक्टर के आदेश में समयावधि आधार पर निगरानी में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता।

6/ आवेदक महिला हरजू व्दारा अनावेदक क0–2 अवधेशगिरी से पट्टे की भूमि पंजीयत विकयपत्र से खरीदी है। संहिता की धारा 165(7–ख) में यह प्रावधान है कि –

"कोई ऐसा व्यक्ति, जो कोई भूमि राज्य सरकार से धारण करता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धारा 158(3) के अधीन भूमिस्वामी अधिकार में धारण करता है अथवा जिसे कोई भूमि सरकार पट्टेदार के रूप में दखल रखने का अधिकार राज्य सरकार या कलेक्टर व्दारा दिया जाता है और जो

तत्पश्चात ऐसी भूमि का भूमिस्वामी बन जाता है, ऐसी भूमि का अन्तरण कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा, जो लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी, के बिना नहीं करेगा।"

इससे स्पष्ट है कि आवेदक व्दारा प्रश्नाधीन पट्टे की भूमि खरीदने के पूर्व कलेक्टर की अनुज्ञा प्राप्त नहीं करने से ऐसे विक्रयपत्र के आधार पर आवेदक को विधिवत स्वत्व अन्तरित होना मान्य नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में कलेक्टर व्दारा बंटन आदेश निरस्त कर पृथक से इस भूमि के बंटन की कार्यवाही करने के आदेश देने में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं की गयी है जिसे विव्दान अपर आयुक्त ने भी अपने आदेश दिनांक 18–8–2000 व्दारा यथावत रखा गया है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनाक 18–08–2000 तथा कलेक्टर का आदेश दिनांक 14–12–95 यथावत रखे जाते हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0